

::शिकायत-पत्र का विहित प्रारूप::

प्रेषितः

प्रमुख सचिव,
लोकायुक्त सचिवालय,
शासन सचिवालय परिसर,
जयपुर.

यहाँ पचास पैसे के न्यायशुल्क का टिकिट लगायें
--

1.	शिकायतकर्ता का नाम एवं पिता/पति का नाम:	
2.	व्यवसाय: (यदि आप नौकरी में हैं तो पद एवं विभाग/संस्था का नाम)	
3.	पत्र-व्यवहार का पूर्ण पता: (टेलीफोन नम्बर, फ़ैक्स व ई-मेल की सुविधा हो तो उसका विवरण) एस.टी.डी.कोड.....टेली.नं.....मोबाइल नं..... ई-मेल आई.डी.....
4.	लोक सेवक, जिसके विरुद्ध शिकायत की जा रही है, उसका नाम, पदनाम एवं कार्यालय का पता:	
5.	शिकायत का सम्पूर्ण बिन्दुवार विवरण: (यदि विवरण विस्तृत हो तो अपने पूर्ण हस्ताक्षर कर पृथक से पृष्ठ संलग्न किया जा सकता है)	
6.	चाहे गये समाधान/राहत का विवरण: (यदि विवरण विस्तृत हो तो अपने पूर्ण हस्ताक्षर कर पृथक से पृष्ठ संलग्न किया जा सकता है)	
7.	आप जिस प्रकार की साक्ष्य द्वारा अपने आरोप को सिद्ध करना चाहते हैं, उसका विवरण अंकित करें तथा दस्तावेजों की सूची वर्णित कर प्रतियां संलग्न करें:	
8.	यदि इस सम्बन्ध में अन्य किसी अधिकारी/विभाग/आयोग/जाँच एजेन्सी आदि के समक्ष शिकायत की गई है तो उसका विवरण अंकित करें:	
9.	यदि विवादित मामला किसी न्यायालय/ट्रिब्यूनल/जिला मंच/राज्य आयोग/राज्य सूचना आयोग आदि में विचाराधीन है अथवा निर्णीत हो गया है, तो उसका विवरण व निर्णयन अंकित करें:	
10.	आपकी शिकायत एवं उससे सम्बन्धित कोई भी सूचना तृतीय पक्ष को दी जाये या नहीं ?	

स्थान:.....

दिनांक:.....

कुल संलग्न पृष्ठों की संख्या:.....

.....

शिकायतकर्ता के पूर्ण हस्ताक्षर